

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

932

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2016

जयपुर, दिनांक ४-१८-२०१७

—: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :—


क्र.सं.	वरीयता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक	पूर्व में आवंटित राजकीय आवास
1	122 / 2008	डॉ० मुकेश कुमार खींची सहायक आचार्य (प्रियोलॉजी विभाग) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	1/गा/डी, प्रथम तल, गांधीनगर	30.11.2041	गा/78, गांधीनगर के स्थान पर
2	131 / 2008	श्री राजकुमार वरिष्ठ विधि रचनाकार विधि (संहिताकरण) शासन सचिवालय, जयपुर	गा/67, भूतल, गांधीनगर	30.9.2031	गा/30, गांधीनगर के स्थान पर
3	124 / 2010	श्री रामावतार गुप्ता आशुलिपिक कार्या- आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	गा/94, भूतल, गांधीनगर	31.3.2020	—
4	127 / 2010	श्री फूलबद्द वर्मा, शीघ्रलिपिक अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर	गा/13, भूतल, गांधीनगर	31.08.2029	—
5	60 / 2011	श्री गुल्ला राम मीना सहायक लेखाधिकारी-। कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, अरावली भवन, झालाना, जयपुर	गा/52, प्रथम तल, गांधीनगर	31.07.2031	—
6	67 / 2011	श्री पदम चन्द्र जैन मेल नर्स, ग्रेड प्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	गा/40, प्रथम तल, गांधीनगर	31.8.2023	एफ-179 गांधीनगर
7	69 / 2011	श्री राजू गोराणा निजी सहायक, आयुक्तालय, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	3/गा/ए, प्रथम तल, गांधीनगर	31.1.2027	4-ए-16, गांधीनगर
8	98 / 2011	श्रीमती रेसीना थॉमस नर्स ग्रेड-प्रथम, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	गा/3, प्रथम तल, गांधीनगर	31.5.2028	—
9	110 / 2011	श्री नवीन भारद्वाज सहायक सचिव्यकी अधिकारी, कृषि विषयन निदेशालय, पत कृषि भवन, जयपुर	ई-920, बहुमंजिला, गांधीनगर	31.10.2031	—
10	113 / 2011	श्री अशोक कुमार शर्मा निजी सहायक, कार्यालय अतिवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, खातीपुरा रोड, जयपुर	गा/102, भूतल, गांधीनगर	30.9.2026	—
11	124 / 2011	श्रीमती विलासनी के.के. नर्स ग्रेड प्रथम सरपदमपत मातृ एवं शिशु संस्थान जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर	गा/54, प्रथम तल, गांधीनगर	30.9.2017	—
12	134 / 2011	श्रीमती दिवा मेहता वाणिज्यिक कर अधिकारी कर अनुभाग मुख्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	10/गा/सी, तृतीय तल, गांधीनगर	31.7.2038	—
13	22 / 2012	डॉ० श्रीमती सविता शर्मा उप निदेशक, सिटी अस्पताल ब्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर।	गा/58, द्वितीय तल, गांधीनगर	30.9.2023	ए-23 जवाहरनगर के स्थान पर
14	48 / 2012	श्रीमति नन्दिता राठौड़, सहायक रजिस्ट्रार (उपभोक्ता) कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर	6/गा/बी, द्वितीय तल, गांधीनगर	31.7.2042	—
15	63 / 2013	श्री राजेन्द्र भाटिया विधि रचनाकार विधि (विधि रचना) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	जीए-गा-टी-1/151, विद्याधरनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)	31.7.2039	जीए-गा-टी-1/19 1 विद्याधर नगर के स्थान पर
16	64 / 2013	श्री अशोक कुमार सैन विधि रचनाकार विधि एवं विधिक रचना विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	जीए-गा-टी-1/148, विद्याधर नगर	31.1.2041	जीए-गा-टी-1/192 विद्याधर नगर के स्थान पर
17	199 / 2013	श्री रामावतार वाहन चालक कार्मिक ख-3, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	जीए-गा-टी-1/186 विद्याधर नगर	31.8.2019	जीए-गा-टी-2/121 विद्याधर नगर के स्थान पर

2

### शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्ताव करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
  8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
  9. बहुमजिला गांधीनगर के आवंटियों से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस रूपये मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(इन्द्र सिंह रावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/विधि/उद्योग/राजस्व/वन/भूजल/कृषि/उच्च शिक्षा/वित्त(कर)/सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग/उद्योग/निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण/निदेशक, कृषि विपणन विभाग/पंजीयक, सहकारिता विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. नियंत्रक एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
7. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, साठनीविं, खण्ड तृतीय, मुख्यालय जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वाठा अभिविं, जलपथ, गांधीनगर/विद्याधर नगर/जवाहर नगर, जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विविंनिगम लिं, वृत्त गांधीनगर/विद्याधर नगर/जवाहर नगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर/विद्याधर नगर/जवाहर नगर, जयपुर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
14. संबंधित आवंटीगण
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग**

क्रमांक :- प. 21(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : १५-२०१७

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी में जी श्रेणी (स्वतंत्र)की वरियता संख्या एवं मांग के आधार पर उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाते हैं:-

क्र.सं.	जी श्रेणी वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटी आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	133	श्री हनुमन सहायक अनुभागाधिकारी राजस्व-(ग्रुप-1) विभागशासन सचिवालय जयपुर। निवासी-एच 860, गांधीनगर जयपुर।	जी-687, गांधीनगर	31.05.2034
2.	136	श्री सवाई सिंह, सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक(क-3 / जॉच) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर निवासी-5 / 129, गांधीनगर जयपुर।	जी-764, गांधीनगर	31.01.2035
3.	139	श्री दुर्गा सिंह राजावत, सहायक अनुभागाधिकारी नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर निवासी-5 / 153, गांधीनगर जयपुर।	जी-686, गांधीनगर	31.07.2043
4.	143	श्री रामगोपाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक कार्मिक(ग)विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। निवासी-5 / 177, (पुराना जी-947), गांधीनगर जयपुर।	जी-814, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)	30.11.2048
5.	145	श्री राधा बल्लभ, कनिष्ठ लिपिक, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर निवासी-5 / 138, गांधीनगर जयपुर।	जी-692, गांधीनगर	28.02.2031
6.	152	श्री विश्वामीणा, वरिष्ठ लिपिक, कार्मिक (क-3 / जॉच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर निवास-5 / डी / 19, गांधीनगर, जयपुर	जी-830, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)	30.11.2051

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश खत: निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

नोट:- कम संख्या 3 पर अंकित आवास संख्या जी-764, गांधीनगर विभागीय आदेश संख्या प.12(1)साप्र/2/2014 दिनांक 19.4.17 द्वारा अस्थाई रूप से दिनांक 28.4.2017 से 7.5.2017 तक आवंटित है। अतः दिनांक 7.5.2017 के पश्चात नवीन आवंटी को कब्जा प्रदान किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

८०  
(इन्द्र सिंह राव)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कठौती सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कठौती सुनिश्चित करावें।
- वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।

7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर जयपुर।
9. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस्ट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वारथ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामवाग सर्किल, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चर्चा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
14. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्ण आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।



शासन संयुक्त सचिव